

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2018-19

दिनांक : 09.10.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)

विषय : शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में कार्य कर फाईनल सबमिट की अंतिम तिथि
20 अक्टूबर, 2018 रात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाने हेतु।

प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक-24.08.2018, 27.09.2018, 28.09.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य सम्पन्न करने की अंतिम तिथि 10.10.2018 नियत की गई थी। लेकिन खेद का विषय है कि कार्य अपेक्षा के अनुरूप सम्पादित नहीं किया जा रहा है। विद्यालयों एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निरंतर प्राप्त हो रहे तकनीकी समस्याओं के संदेशों को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शालादर्पण के छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.10.2018 पुनर्निर्धारित की जाती है। ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को और बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। इस अवधि के दौरान संस्थाप्रधानों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाने की स्थिति में आप द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अतः अनिवार्यतः बढ़ाई गई अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करावें। अन्य समस्त निर्देशादि प्रासंगिक पत्रों के अनुरूप रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2018-19

दिनांक : 09.10.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री विनोद जैन, उप-निदेशक, प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल हेतु कार्य सम्पादित करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.10.2018 रात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाकर पोर्टल लॉक किया जाना सुनिश्चित करावें। पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को जानकारी में आते ही अविलम्ब निस्तारित करवाएं।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद मील, सहायक निदेशक, शालादर्पण, कार्यालय हाजा, तकनीकी समस्याओं के प्राप्त होते ही एन.आई.सी.जयपुर से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारण करावें।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यतः पालनार्थ।
6. समस्त संस्थाप्रधान रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।

www.rajteachers.com



9.10.18
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर